यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
दमा नम्बर:–204/2018 प्रार्थना पत्र
गोपाल पिता बक्षू गाडरी, उम्र बालिग निवासी कुवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---प्रार्थी

बनाम

श्री भैरू पिताऊंकार जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री रामेश्वर पिताऊंकार जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री हीरा पिता गणेश जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री ओमप्रकाश पिता उदयलाल जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री नारू पिता नंदा जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री रूघनाथ पिता नंदा जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री जमना पिता मांगू जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री जगदीश पिता हजारी जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री लहरू पिता हजारी जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांक:–30.08.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व ानियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सुवाणा पटवार ा सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2128/1 रकबा 1 बीघा 06 ा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते ब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये रगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.7.2018 को पंजीबद्व किया जाकर ये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 9 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 9 उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या 1 से ो कितनी ही मर्तवा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण क 12.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया हैं। विपक्षी संख्या 10 का न बाद तामिल. प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 10 उपस्थित नहीं। ी संख्या 20 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने ारण दिनांक 9.8.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की ाजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में
..ल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के
..त स्वीकार किया जाकर कि ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित
.. आराजी नम्बर 2128/1 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी
.. जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू—अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को
../—रूपये (तीन सौ रूपये) कम्श्निर फीस पर कम्श्निर नियुक्त किया जाता हैं। कम्श्निर फीस प्रार्थी
.. पर जमा करावें। कम्श्निर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी
..जावें। पत्थरंगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
..या गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner